(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 5044-दो/2016 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-9-2015 पारित द्वारा तहसीलदार माड़ा, जिला सिंगरोली - प्रकरण कमांक 22 अ-6-अ/2012-14

रामकृपाल पुत्र भागीरथी साहू
ग्राम बेतरिया तहसील माड़ा
जिला सिंगरोली मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर जिला सिंगरोली --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0के0देवपाण्डे)

आ दे श

(आज दिनांक 06-4-2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार माड़ा, जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 22 अ-6-अ/2012-14 में पारित आदेश दिनांक 30-9-2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार माड़ा जिला सिंगरोली को प्रार्थना पत्र दिनांक 4-4-13 प्रस्तुत कर मांग की कि ग्राम बेतरीया स्थित भूमि खसरा कमांक 123, 124, 125 कुल किता 3 कुल रकबा 1.314 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का वह भूमिस्वामी एंव आधिपत्यधारी है । कलेक्टर जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 1/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-1-11 से उसे भूमिस्वामी माना गया है इसलिये शासकीय अभिलेख में उसके नाम की इन्द्राज दुरूस्ती की जाय। तहसीलदार

माड़ा ने प्रकरण कमांक 22 अ-6-अ/2012-14 पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनॉक 30-9-15 पारित करके तहसील न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता न होना मानकर आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के हित में प्रकरण कमांक 164-अ-19/1980-81 में पारित आदेश दिनांक 25-6-81 से हुआ है किन्तु बंदोवस्त के दौरान त्रृटिवश आवेदक का नाम वादग्रस्त भूमि से विलोपित होकर भूलवश भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम अंकित कर दी गई । तत्समय बंदोवस्त अधिकारी ने प्रकरण कमांक 72 अ-6-अ/95-96 में पारित आदेश दिनांक 22-6-96 से भूमि आवेदक के नाम करने के आदेश दिये हैं। अपर कलेक्टर द्वारा व्यवस्थापन प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया गया था तथा प्रकरण कमांक 354/89-90 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 1-10-90 से व्यवस्थापन सही होना माना है एंव स्वमेव निगरानी निरस्त की है जिसके पालन में तहसीलदार सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 207 अ 74/07-08 में पारित आदेश दिनांक 8-10-07 से रिकार्ड दुरूस्त कर आवेदक को भूमिस्वामी माना है। कलेक्टर सिंगरोली ने भी प्रकरण कमांक 1/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-1-11 से उसे भूमिस्वामी माना है इसके वाद भी तहसीलदार माड़ा, जिला सिंगरोली के प्रकरण कमांक 22 अ-6-अ/2012-14 में पारित आदेश दिनांक 30-9-2015 को निरस्त करने में भूल की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार के आदेश को निरस्त करते हुये उक्तादेशों के प्रकाश में आवेदक का नाम शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में अंकित कराये जाने के आदेश प्रदान किया जाय।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के क्रम में तहसीलदार माड़ा, जिला सिंगरोली के प्रकरण क्रमांक 22 अ-6-अ/2012-14 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि आवेदक ने तहसीलदार माड़ा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की है कि ग्राम बेतरीया स्थित भूमि खसरा क्रमांक 123, 124, 125 कुल किता 3 कुल रकबा 1.314 है. के सम्बन्ध में कलेक्टर जिला सिंगरोली ने प्रकरण क्रमांक 1/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-1-11 से उसे भूमिस्वामी माना गया है इसलिये शासकीय अभिलेख में सुधार कर उसे भूमिस्वामी अंकित किया जावे। तहसीलदार ने आवेदक का यह आवेदन इस आधार पर निरस्त किया है कि -

" अति0तहसीलदार वृत्त अमिलिय के प्र0क0 207 अ-74/2006-07 आदेश दिनांक 8-10-2007 के द्वारा ग्राम बेतरिया की भूमि ख.क. 900 रकबा 1.14 है. पर म0प्र0शासन के बजाय आवेदक का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया था जिसके मुताबिक अभिलेख भी दुरूस्त करा दिया गया था किन्तु माननीय कलेक्टर महोदय सिंगरोली के प्र0क0 1/2008-09 निगरानी आदेश दिनांक 19-5-09 के द्वारा आवेदित भूमि को पुनः मध्य प्रदेश शासन के स्वत्व में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया जिसके परिपालन में अति. तहसीलदार वृत्त अमिलिया के प्रकरण क्रमांक 76 अ-74/08-09 आदेश दिनांक 20-5-09 के द्वारा आवेदित भूमि को म0प्र0शासन के स्वत्व में अंकित कराया गया है। आवेदक द्वारा उक्त दोनों ही आदेशों के विरूद्ध अपील/निगरानी दायर नहीं की गई है जिस कारण उक्त दोनों ही आदेश प्रभावशील व स्थिर हैं। "

तहसीलदार माड़ा के उक्तादेश दिनांक 30-9-15 में निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि कलेक्टर का पूर्वादेश दिनांक 19-5-09 का एंव तहसीलदार का आदेश दिनांक 20-5-09 के हैं जबकि इनके वाद कलेक्टर जिला सिंगरोली ने प्रकरण क्रमांक 1/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-1-11 से आवेदक को वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी होना माना है और यह आदेश तहसीलदार माड़ा के प्रकरण में आवेदक के मूल आवेदन के नीचे प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में संलग्न है जिसका अँश उद्धरण इस प्रकार है :-

" **अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण कमांक 207 अ-74/2007-08 में पारितआदेश दिनांक 8-10-2007 यथावत् रखा जाता है। तद्नुसार कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापिस भेजा जावे। "**

तहसीलदार सिंगरोली के प्रकरण कमांक 207 अ 74/07-08 में पारित आदेश दिनांक 8-10-07 वही आदेश है जिसमें आवेदित भूमि के रिकार्ड दुरूस्त करने एंव आवेदक को भूमिस्वामी अंकित का निर्णय है । कलेक्टर सिंगरोली द्वारा प्रकरण कमांक 1/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-1-11 अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम है जिसके कारण तहसीलदार माड़ा कलेक्टर के आदेश दिनांक 28-1-11 के पालन हेतु बाध्य हैं, यदि तहसीलदार माड़ा को कलेक्टर के आदेश दिंक 28-1-11 के पालन में किसी प्रकार विधिक अड़चन प्रतीत हो रही थी, उनका दायित्व था कि विचाराधीन प्रकरण कमांक 22 अ-6-अ/2012-14 में पारित आदेश दिनांक 30-9-2015 से आवेदक का मूल दावा निरस्त न करके आदेश दिनांक 28-1-11 के रिव्यु प्रस्ताव अथवा वरिष्ठ में निगरानी के प्रस्ताव भेजते, किन्तु उनके द्वारा समय रहते ऐसा नहीं किया गया है जिसका खामियाजा आवेदक को नहीं भुगताया जा सकता और इन्हीं कारणों से कलेक्टर सिंगरोली द्वारा प्रकरण कमांक 1/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-1-11 पालन योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार माड़ा, जिला सिंगरोली द्वारा प्रकरण कमांक 22 अ-6-अ/2012-14 में पारित आदेश दिनांक 30-9-2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव प्रकरण तहसीलदार माड़ा की ओर से इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि कलेक्टर सिंगरोली द्वारा प्रकरण कमांक 1/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-1-11 का पालन करना सुनिश्चित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर